



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 वैशाख 1944 (श0)
(सं0 पटना 261) पटना, वृहस्पतिवार, 5 मई 2022

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

15 फरवरी 2022

सं० 7/मुक0-08-03/2021 सा0प्र0 2026—एस0एल0पी0 (सी0) संख्या-11174/2021 एवं सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-3952/2020 में माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के आलोक में 30वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (वि0सं0-06/2018) के परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-8/वि0प्र0-04-05/2017 (49) लो0से0आ0/गो0 दिनांक 03.11.2021 द्वारा संसूचित अनुशंसा पर निम्न एक अभ्यर्थी को बिहार न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली-1955 के नियम-24 के तहत परीक्ष्यमान रूप में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर रु० 27700-770-33090-920-40450-44700/- के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ अधोलिखित कंडिकाओं में निहित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है:-

क्र०	अनुक्रमांक	नाम	मेधा क्रमांक	जन्म तिथि	लिंग	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण कोटि
1	2	3	4	5	6	7
1	112099	स्वाति चतुर्वेदी	174	07.01.1991	महिला	01

2. यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी।

3. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे० को० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन नियुक्त होने वाले न्यायिक पदाधिकारी पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2017 में बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 के नियम 25(ख) में विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था०-1-4-05/2011 सा0प्र0 3245 दिनांक 17.03.2017 के द्वारा किये गये प्रावधान के अनुसार "असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का

कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व सेवा छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उसे तीन माह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा करना होगा।”

6. अभ्यर्थी को फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

7. नियुक्ति पत्र में अंकित नवनियुक्त परीक्ष्यमान न्यायिक पदाधिकारी की सेवायें माननीय उच्च न्यायालय, पटना को पदस्थापन हेतु सौंपी जाती हैं।

8. योगदान किये जाने हेतु उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 261-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>